भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सैक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/87/20014/एफ.सी./807

दिनॉक: 17-9-15

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : पॉवर ग्रिड कार्पो आफॅ इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तावित एक्सटेंशन आफॅ 400 के0वी0 डी0सी0 (क्वाड) बिहार शरीफ सासाराम से वाराणसी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वाराणसी वन प्रभाग की 0.1288 हे0 संरक्षित वन भूमि, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी की 0.2852 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं मिर्जापुर वन प्रभाग की 0.115 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 0.529 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल प्रभावित वृक्ष (क्रमशः 0+25+68)=93 के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–552/11–सी–39, दिनॉक– 08.09.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–1018/11–सी–39, दिनॉक– 09.12.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

उपरोक्त 03 वन प्रभागों के प्रस्तावों को समेकित किया गया है जिसका सारांश निम्नवत् है:

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि (हे0 में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या
1	मिर्जापुर	मिर्जापुर वन प्रभाग	0.1150 हे0	68
2	चन्दौली	काशी वन्य जीव प्रभाग	0.2852 हे0	25
3	वराणसी	वाराणसी वन प्रभाग	0.1288 हे0	--
योग			0.529 हे0	93

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 07.07.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, लखनऊ उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार पॉवर ग्रिड कार्पो आफॅ इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तावित एक्सटेंशन आफॅ 400 के0वी0 डी0सी0 (क्वाड) बिहार शरीफ सासाराम से वाराणसी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वाराणसी वन प्रभाग की 0.1288 हे0 संरक्षित वन भूमि, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी की 0.2852 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं मिर्जापुर वन प्रभाग की 0.115 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 0.529 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल प्रभावित वृक्ष (क्रमशः 0+25+68)=93 के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वृक्षों के एवज में 1001 वृक्षों के वृक्षारोपण (समेकित क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्ताव के अनुसार) एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

16/9/15

उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– लेखा संख्या– एस0बी0–25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियाँ कैम्पा, नई दिल्ली मे जमा करने के उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक / आर0टी0जी0एस0 / एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिरपोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

16/9/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वन महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
2. निदेशक, आर.ओ.एच.क्यू., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली
3. नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र–1, एस / 108, सी–6, प्रशान्तपुरी, डी0आई0जी0 कालोनी, मकबूल आलम रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
8. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
9. आदेश पत्रावली ।

16/9/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)